न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व मामला संख्या – 209/2015

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
तहसीलदार रियांबडी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) रियांबडी		1–किशना पुत्र दीना कौम भांबी (फौत) निवासी रियांबड़ी के कायममुकामान– 1/1–बद्रीराम पुत्र किशना कौम भांबी 1/2–नारायण पुत्र किशना (फौत) कौम भांबी के कायममुकामान– 1/2/1–लालचंद पुत्र नारायण कौम भांबी 1/2/2–प्रेमचंद पुत्र नारायण कौम भांबी 1/2/3–इन्द्रकुमार पुत्र नारायण कौम भांबी 1/2/4–गीता पुत्री नारायण कौम भांबी 1/2/5–भगवती पुत्री नारायण कौम भांबी 1/2/6–चुकादेवी पुत्री नारायण कौम भांबी 1/2/7–छोटीदेवी पुत्री नारायण कौम भांबी 1/2/8–छीतरलाल पुत्र नारायण (फौत) कौम भांबी के कायम मुकामान– 1/2/8/1–नैनादेवी पत्नी छीतरलाल कौम भांबी 1/2/8/2–कैलाश पुत्र छीतरलाल कौम भांबी 1/2/8/3–नरेन्द्र पुत्र छीतरलाल कौम भांबी 1/2/8/4–करूणा पुत्री छीतरलाल कौम भांबी 1/3–मोहनराम पुत्र किशना (फौत) कौम भांबी 1/3/1–नैनादेवी पत्नी मोहनराम कौम भांबी 1/3/2–ओमप्रकाश पुत्र मोहनराम कौम भाबी 1/3/3–लाली पुत्री मोहनराम कौम भांबी 1/3/4–बसन्ती पुत्री मोहनराम कौम भांबी समस्त निवासीगण पी.एस.–282 लेबर कॉलोनी पाली (मारवाड़)

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही।

निर्णय दिनांक : 23/09/2019

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् बने नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन नियम 1970 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध आदेशिका दिनांक 12.09.2019 अनुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजपैरोकार की एकतरफा बहस सुनी गई। राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि मौजा रियांबडी के साबिका खसरा नम्बर 1353 मिन रकबा 15 बीघा भूमि अप्रार्थी किशना पुत्र दीना जाति भाम्बी निवासी रियांबडी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1970 के तहत् आंवटन हुई थी। अप्रार्थी को उक्त भूमि वर्ष 1970 में आवंटन हुई थी तथा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन नियम 1970 के उपनियम 14(3) के तहत् प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भू–भाग को व द्वितीय वर्ष में शेष भाग को जोतना आवश्यक था। अप्रार्थी ने उक्त अधिनियम की धारा 14 (3) की शर्तो का पालना नहीं किया जो खसरा गिरदावरी संवत् 2031 से 2071 तक के नकलों से सुस्पष्ट है। अप्रार्थी को आंवटित भूमि काबिल काश्त नहीं

कलक्टर, नागौर

है तथा मौके पर भूमि पडत के रूप में है, जिस पर काश्त करना मुमकिन नहीं है जो पटवारी हल्का रियांबडी की रिपोर्ट से सुस्पष्ट है। अप्रार्थी ने उक्त अधिनियम की धारा 14 (3) की शर्तो का पालन नहीं किया है, जिसके कारण अप्रार्थी को दिये गये गैर खातेदारी अधिकार अधिनियम की धारा 14 (3) के तहत् निरस्त योग्य होने का कथन करते हुऐ अप्रार्थी किशना पुत्र दीना को किये गये आवंटन को निरस्त करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। मौजा रियांबड़ी के साबिका खसरा नम्बर 1353 मीन रकबा 15 बीघा भूमि (जिसे आगे वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया जायेगा) का अप्रार्थी किशना पुत्र दीना कौम भांबी निवासी रियांबड़ी को आवंटन करना बताया गया है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम रियांबड़ी तहसील मेड़ता की जमाबन्दी संवत् 2034 से 2036 में अप्रार्थी किशना पुत्र दीना नाम गैर खातेदार के रूप में दर्ज है। पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक रियांबड़ी की रूबरू मौतबिरान मौका रिपोर्ट दिनांक 04.09.2015 के अनुसार अप्रार्थी नारायण, बद्री व मोहन पुत्र किशना कौम मेघवाल निवासी रियांबड़ी गैर खातेदार का वादग्रस्त भूमि पर मौके पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा वर्तमान में भी कब्जा काश्त नहीं है। पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक रियांबड़ी की पुनः रूबरू मौतबिरान फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 02.04.2019 के अनुसार अप्रार्थी नारायण, बद्री व मोहन पुत्र किशना कौम मेघवाल निवासी रियांबडी गैर खातेदार ग्राम रियांबड़ी में निवास नहीं करते है तथा वादग्रस्त भूमि पर इनका कब्जा काश्त नहीं है। प्रकरण में अप्रार्थी खसरा गिरदावरी से भी अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर काश्त नहीं होने की पुष्टि होती है। इस प्रकार आवंटित भू खण्ड पर कब्जा काश्त नहीं करके आवंटन आदेश की शर्तों की खिलाफवर्जी की जाना प्रमाणित है। इस प्रकार समग्र विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मौजा रियांबड़ी के साबिका खसरा नम्बर 1353 मीन में से रकबा 15 बीघा भूमि का अप्रार्थी किशना पुत्र दीना को किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार रियांबड़ी को भूमि का इन्द्राज पूर्ववत बहाल कर भूमि सरकारी तहवील में लेने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार रियांबड़ी को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलेक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.05.28 12:16:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: